रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2471] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2012/अग्रहायण 30, 1934

No. 2471] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2012/AGRAHAYANA 30, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2979(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ आसोम (उल्फा) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जे. आर. मिड्ढा की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है ।

[फा. सं. 11011/81/2012-एनई-V]

डॉ. एम. सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2012

S.O. 2979(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes " The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Mr. Justice J. R. Midha, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/81/2012-NE-V]

Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.